

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के
विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत
द्वारसों—काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम
टनवाड़ी बैण्ड से बनी ऐसोली लिंक रोड को
ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के
नव निर्माण का कार्य लम्बाई 4.00 किमी।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पत्रावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

27.19 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भूमि का
चयन किया गया भूमि की उपलब्धता के
कारण वैकल्पिक स्थल निरस्त किया गया।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

फल, सब्जी, दूध एवं अनेक रोजगार।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

1. आरक्षित भूमि	—	1.125 है०
2. वन पंचायत भूमि	—	0.180 है०
3. सिविल सोयम भूमि	—	0.900 है०
2. नाप भूमि	—	1.865 है०
कुल भूमि	—	4.070 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है।

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाए)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।

नहीं

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान— अल्मोड़ा।

Vijay Kumar
 (इं० विजय कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)